

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहत्ता, खूँटी

(2)

अनुमति वाद संख्या :— 371 / 20-21

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा — 46)

दाऊद संगा

उषा बखला

— विक्रेता

— क्रेता

आदेश की क्रम
संख्या और
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की
गई कार्रवाई के
बारे में टिप्पणी,
तारीख सहित

16.07.21

आदेश

आवेदक दाऊद संगा पिता नमन संगा ग्राम—घुनसूली, थाना—कर्रा, जरियागढ़, थाना कर्रा, जिला खूँटी ने उषा बखला पति श्री फ्रांसिस बखला ग्राम—चन्दापारा, थाना कर्रा, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकवा (एकड़ में)
घुनसूली	121	37	98	0.31½

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए खतियान/आवासीय प्रमाणपत्र/जाति प्रमाणपत्र एवं लगान की रसीद सं० 0931322944 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, कर्रा के पत्रांक 217 दिनांक 10.03.2021 से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जांच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम दान्दु मुण्डा है। पंजी II के अनुसार दान्दु मुण्डा वगैरह के नाम भूमि का रकवा 48. 17 एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकवा 12.04 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 2234.00(दो हजार दो सौ चौतीस)रु० प्रति डिसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास भूमि अवशेष 11.72½ एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना कर्रा के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरुआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, कर्रा ने क्रेता—विक्रेता को भूमि क्रय—विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, कर्रा से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण दाऊद संगा पिता नमन संगा को उषा बखला पति श्री फ्रांसिस बखला के साथ ग्राम घुनसूली के खाता सं० 37 खेसरा संख्या 98 कुल रकवा 0.31½ एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 2234.00(दो हजार दो सौ चौतीस)रु० प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, कर्रा के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित


भूमि सुधार उप समाहत्ता,
खूँटी।


भूमि सुधार उप समाहत्ता,
खूँटी।